उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-53 / 2020 / एस-2-1418 / दस-2020-88क(13) / 2017टी0सी0-।

लखनऊ :: दिनाँक: 29 जुलाई, 2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी श्री विजय कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को उनके अपने कार्य के साथ-साथ संयुक्त निदेशक, पेंशन, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- श्री सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

राम रतन
उप सचिव।

<u>संख्या-53 / 2020 / एस-2-1418(1) / दस-2020, तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
2- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, पेंशन, निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक कोषागार।
7- मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ़।
8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राम रतन)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।